न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 12/2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री रमेश पुत्र श्री हीमा जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री हरीश पुत्र श्री हीमा जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. सुश्री पार्वती पुत्री श्री हीमा जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्रीमती सन्ती पत्नि श्री हीमा जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री छोटा पुत्र श्री भूबा जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. श्री कसा पुत्र श्री वजिया जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7. श्रीमती सीती बेवा श्री वजिया जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
8. श्री सकिया पुत्र श्री हरता जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
9. श्री भेरिया पुत्र श्री हरता जाति सिरवी निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरोही)

निर्णय

दिनांक 09.11.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा खाखरवाडा [illegible] डल काछौली, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 791 नया [illegible] किस्म बंजर भूमि आई हुई है, जिसे भूमि आंवटन सलाह[illegible] 2.01.1977 को अप्रार्थी संख्या एक से सात के पिता/पति एवं अप्रार्थी संख्या आठ व नौ को आवंटन की गई थी जिसका प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

संख्या 66 द्वारा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थीगण द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दी गई। अतः अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 791 नया खसरा नम्बर 791/980 रकबा 2.18 बीघा किस्म बंजर भूमि का आवंटन अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक से सात के पिता/पति एवं अप्रार्थी संख्या आठ व नौ को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका एवं उसके देहान्त के पश्चात अप्रार्थीयान का कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा खाखरवाडा, पटवार मण्डल काछौली, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 791 नया खसरा नम्बर 791/980 रकबा 2.18 बीघा किस्म बंजर भूमि आई हुई है, जिसे भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.01.1977 को अप्रार्थी संख्या एक से सात के पिता/पति एवं अप्रार्थी संख्या आठ व नौ को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 66 दर्ज किया गया। यह है कि पटवारी हल्का काछौली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थी का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीयान द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को [illegible] की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के [illegible] सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीयान द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना [illegible] पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार [illegible] पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीयान को किसी तरह की कोई राहत दी जाना वि[illegible]संगत नही होगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:51 IST
Reason: SelfAttested

Bulla

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खाखरवाडा पटवार मण्डल काछौली, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 791 नया खसरा नम्बर 791/980 रकबा 2.18 बीघा किस्म बंजर भूमि आई हुई थी जिसे भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.01.1977 को अप्रार्थी संख्या एक से सात के पिता/पति एवं अप्रार्थी संख्या आठ व नौ को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner